बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना
(वित्त विभाग का उपक्रम)

विज्ञापन

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवानिवृत्त आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना (वित्त विभाग का उपक्रम) के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव के 01 (एक) अनारक्षित स्वीकृत रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.04.2015 के आलोक में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवानिवृत्त आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

नियोजन की शर्तें:-

1. संविदा के आधार पर चयन हेतु सेवानिवृत्त कर्मी की अधिकतमम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी । संविदा के आधार पर चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनकी कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा ।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी ।

3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगी । मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगा ।

4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।

5. यह नियोजन पूर्ण रुप से औपबंधिक होगा एवं संविदा अवधि समाप्ति से पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त किया जा सकेगा ।

6. उक्त पद पर आप्त सचिव की नियमित नियुक्ति के उपरान्त उनका पदस्थापन होते हीं संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

7. सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ देना होगा ।

8. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी इस आशय का शपथ-पत्र भी संलग्न करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही/निगरानी मामला/आपराधिक मामला नहीं चल रहा है ।

9. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी अपना पूर्ण विवरण टंकित विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से **दिनांक 12-11-2018** तक समर्पित करेंगे । आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवसाइट **www.finance.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है ।

10. आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना के पास सुरक्षित रहेगा । इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा ।

11. निबंधित डाक लिफाफे पर बड़े अक्षरों में ''संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र'' अंकित रहेगा एवं निम्न पते पर भेजा जाएगा:-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड,
सचिवालय एनेक्सी ब्लॉक-3, ग्राउण्ड फ्लोर,
मुख्य सचिवालय परिसर, पटना-800015

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नामः-
2. आवेदक का नामः-
3. आवेदक के पिता/पति का नामः-
4. स्थायी पताः-
5. पत्राचार का पताः-
6. आवेदक की जन्म तिथिः-
   (जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यताः-
8. सेवानिवृत्ति की तिथिः-
9. सेवानिवृत्ति के समय पदनामः-
10. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैंः-
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/ पे बैण्ड/महंगाई भत्ता की राशि
    (पेंशन स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)
12. वर्त्तमान में पेंशन की राशिः-
13. मोबाईल संख्याः-

नोटः- टंकित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे ।

घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है । मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छुपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है । यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक का हस्ताक्षर